

24 ¹²/₂₅

पत्रावली पेश है। वकील पक्षकार उप. नहीं है। वकील वादी को आपाज लगवायी गयी परन्तु उप. नहीं है। वादी को श्री सुजकु से आपाज लगवायी गयी परन्तु उप. नहीं है। बार - बार आपाज लगवायी परन्तु उप. नहीं है। पत्रावली को इंटरम में रखवायी गयी। पत्रावली पुनः रखवायी गयी।

वादी आधिवक्ता व स्वयं वादी को आपाज लगवायी गयी परन्तु को उप. नहीं हुए। बार - बार आपाज लगवाने पर श्री वादी व वादी आधिवक्ता उप. नहीं देने पर पत्रावली ठाकम दुजरी व अथम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली कैसल शूमार होकर नम्बर से कम की जाकर कारिखल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।